

आवेदक ध्यान दें

- आवेदक आवेदन फार्म के दोनो तरफ एवं हलफनामे मे वही हस्ताक्षर करे जो उन्होने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फार्म के सेक्सन AA मे किये है (हस्ताक्षर भिन्न होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा)
- सभी कागजात क्रमबद्ध लगाये।
- सभी कागजातो (प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को छोड कर जो मूल ही जमा होना है) की छाया प्रति भी लगाये जो कि किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई हो।
- आवेदन फार्म पर फोटो निम्न प्रारूप अनुसार ही हो।
- प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फार्म की सभी प्रविष्टियो को पूर्ण व सही रूप से भरें। फार्म के सेक्सन I मे प्रधानाचार्य द्वारा ट्रेनिंग प्रारम्भ करने की अनुमति देने की तारीख व स्थान, सेक्सन II मे छात्र द्वारा ट्रेनिंग प्रारम्भ करने की तिथि व स्थान, सेक्सन III मे छात्र के एपरेन्टिस मास्टर द्वारा छात्र को ट्रेनिंग प्रारम्भ कराने की सहमति की तारीख व स्थान, सेक्सन IV मे ट्रेनिंग सेन्टर के मालिक/ मैनेजर द्वारा ट्रेनिंग के प्रमाणीकरण की तिथि व स्थान एवं अन्त मे सेक्सन V मे कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा ट्रेनिंग पूर्ण होने का प्रमाण हस्ताक्षर करने की तारीख व स्थान अंकित होना जरुरी है। इनके अभाव मे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फार्म एवं आवेदन अधूरा माना जायेगा।
- हलफनामे का प्रारूप कौंसिल कार्यालय मे उपलब्ध है। कृपया कालम न. 4 मे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेन्टर का पूरा नाम व पूरा पता ठीक से दें, जैसे कि R.R.S.U. S.M.S. 2, / Confed Jaipur अधूरा पता है और इसकी जगह पर Rajasthan Rajya Sahkari Upbhokta Sangh Ltd. Medical Branch No. 2, S.M.S. Hospital Campus, Jaipur अंकित होना चाहिये।
- हलफनामे मे कालम संख्या 5 पर यदि आवेदक नौकरी नही करता है तो राजस्थान मे निवास से सम्बन्धित पैरा को ही टाइप करवाये और नौकरी करने पर नौकरी से सम्बन्धित पैरा ही टाइप करवाये।
- कृपया ध्यान रखे कि हलफनामे मे कोई भी काट-छाट या ओवर राइटिंग होने पर उस पर नोटेरी के हस्ताक्षर व सील लगना आवश्यक है, अन्यथा हलफनामा अमान्य होगा।
- यदि आवेदन करते समय किसी भी कागजात की कमी हो तो आवेदन जमा करने के लिये दबाव न डाले क्योकि अधूरा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।